न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अति. मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा

प्रकरण सं. प्रार्थना पत्र/FSSA/2019/00002 दर्ज दिनांक: 24/06/2019

1 Khadya Suraksha Adhikari पता -Banswara

बनाम

....प्रार्थी

1 Hitesh Seth पता -Banswara

....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

प्राथी अभिभाषक

SELF अप्राथी अभिभाषक

<u>निर्णय</u>

दिनाक : **30/07/2019**

यह प्रार्थना पत्र खादय सुरक्षा अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत पेश होने पर दर्ज किया गया | ज़िसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है.: -

(RAJESH VERMA)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अति. मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा

Signature valid

Digitally signed by Rajesh Verma
Date: 2019.07.30 17:50:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी – राजेश वर्मा, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या : 18 / 2019

RCMS Case Reg. 2019/00002

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा।

बनाम

अभियुक्त :–

1. श्री हितेश सेठ पुत्र श्री बांकेलाल सेठ उम्र 46 वर्ष मै. सेठ ब्रदर्स, गर्ल्स कॉलेज के पास, मोचीवाड़ा, बांसवाड़ा। स्थाई पता–245, कॉमर्शियल कॉलोनी, बांसवाड़ा
2. मै. सेठ ब्रदर्स, गर्ल्स कॉलेज के पास, मोचीवाड़ा, बांसवाड़ा।
3. प्रकाश सिंह सोलंकी पिता श्री ओंकार सिंह सोलंकी, नोमिनी – **M/S Munimji& Sons K.H.No. 74/75, Village – Bardari, Indor (M.P.) Reg. Office 19, Mahavar Nagar, Annpurna Road, Indore-452009 (M.P.)** स्थाई पता –**167, Sanwer Road, Maruti Nagar, Army Head Quarter, Indore (M.P.)-452006**
4. **M/S Munimji& Sons K.H.No. 74/75, Village – Bardari, Indor (M.P.) Reg. Office19, Mahavar Nagar,Annpurna Road, Indore-452009 (M.P.)**

उपस्थित :–

श्री हितेश सेठ पुत्र श्री बांकेलाल सेठ (अभियुक्त)।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii)

निर्णय

दिनांक 30–07–2019

न्याय निर्णयन अधिकारी (अति.जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राज.)

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री अशोक कुमार गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा के द्वारा दिनांक 19–06–2019 को यह इस्तगासा इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 23–10–2018 को अप. 04.15 बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु मैसर्स सेठ ब्रदर्स, गर्ल्स कॉलेज के पास, मोचीवाड़ा, बांसवाड़ा पर पहुंचा। निरीक्षण करने पर पाया कि उपरोक्त विक्रेता की दुकान पर श्री हितेश सेठ उपस्थित थे। वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञा पत्र दिखाने को कहा, जिस पर उक्त विक्रेता ने खाद्य पदार्थ विक्रय रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत किया। निरीक्षण करने पर पाया गया कि दुकान पर Dhaniya Powder (Pushp Brand) के 500 ग्राम के 28 पैकेट एक प्लास्टिक के कट्टे में मूल ही कम्पनी पैक, सील बन्द

स्थिति में आम जनता को बिक्री हेतु रखा पाया गया। इसमें मिस ब्राण्ड, सब स्टेण्डर्ड, अनसेफ का शक होने पर रूबरू गवाहान के मालिक एवं विक्रेता को प्रपत्र–5 ए देकर सूचित किया कि उक्त Dhaniya Powder (Pushp Brand) के 500 ग्राम के 4 पैकेट के नमूना वास्ते जांच हेतु एफएसएसए, 2006 के अन्तर्गत ले रहा हूं। Dhaniya Powder (Pushp Brand) के 500 ग्राम के 4 पैकेट की मूल ही कम्पनी पैक, सीलबन्द स्थिति में वास्ते जांच हेतु खरीदी तथा इसकी कीमत 320/– रूपया (अक्षरे तीन सो बीस रूपया) विक्रेता को नगद चुका कर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाए एवं तस्दीक कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना जांच हेतु क्रय किये गये Dhaniya Powder (Pushp Brand) के 500 ग्राम के 4 पैकेट की पर फार्म नं. 5 ए पर वर्णित सभी जानकारी अंकित पाई गई। विक्रेता ने मौके पर उक्त Dhaniya Powder (Pushp Brand) के 500 ग्राम के खरीद के सम्बन्ध में M/S Munimji& Sons K.H.No. 74/75, Village – Bardari, Indor (M.P.) Reg. Office19, Mahavar Nagar,Annpurna Road, Indore-452009 (M.P.)का इन्वाईस नं. 82712 दिनांक 01–10–2018 प्रस्तुत किया। इन खरीदशुदा चारों पैकेट्स पर लेबल लेबल जिस पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा के कोड व सिरीयल नं. W-412 नमूना लेने वाले का नाम, नमूना लेने की तिथि आदि अंकित कर चारों पैकेट्सें पर नीचे से उपर तक पूरे राउण्ड पर गौंद से चिपका कर मोटे मजबुत धागे से बांध कर नियमानुसार 4–4 जगह दोनों साइडों पर सील चपड़ी लगा कर नियमानुसार सील चपड़ी कर प्रत्येक सील्ड नमूने पर विक्रेता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाए एवं स्वयं खाद्य निरीक्षक द्वारा हस्ताक्षर किए गए जाकर चारों सील्ड नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। उक्त चार भागों में से एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा के पत्र क्रमांक FSSA/2018/167 दिनांक 03–12–2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर (खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला उदयपुर) से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या L.S. 346/Act/2018/397 दिनांक 20–11–2018 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया Dhaniya Powder (Pushp Brand) Contravention of Regulation No. 2.2.2.(10) of Food Safety and Standerds (Packing & Labelling) Regulation 2011, पाये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)ZF)(C)(i) के तहत मिसब्राण्डेड होना पाया गया।

उक्त प्रकरण में विक्रेता ने Dhaniya Powder (Pushp Brand) मिस ब्राण्डेड का विक्रय करके क्रम संख्या 1 से 4 ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डनीय अपराध है, तद्नुसार जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

न्याय निर्णयन अधिकारी (अति.जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राज.)

इस्तगासा दिनांक 24–06–2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 30–07–2019 को आरोपी (विपक्षी) श्री हितेश सेठ पुत्र श्री बांकेलाल सेठ उपस्थित हुए एवं उन्होंने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है।

प्रकरण में आरोपीगण द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना। सुनवाई के दौरान आरोपी ने दण्ड के विषय पर नरमी का रूख अपनाने निवेदन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर (खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला उदयपुर) से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया Dhaniya Powder (Pushp Brand) Contravention of Regulation No. 2.2.2.(10) of Food Safety and Standerds (Packing & Labelling) Regulation 2011, पाये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)ZF)(C)(i) के तहत मिसब्राण्डेड होना पाया गया।

प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः विक्रेता द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम का उल्लंघन होने पर आरोपीगण को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर रूपये 5000/– (अक्षरे रू. पांच हजार मात्र) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में जुर्माना राशि रूपया 5000/– (अक्षरे रू. पांच हजार मात्र) तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 30–07–2019 खुले न्यायालय सुनाया गया।

([illegible] वर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा